



सार्वजनिक प्रापण
में
पारदर्शिता



सतर्कता जागरूकता सप्ताह - 2012

सार्वजनिक प्रापण
में
पारदर्शिता

प्राक्कथन

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2012 की विषय वस्तु है सार्वजनिक प्रापण में पारदर्शिता। आपके समक्ष प्रस्तुत यह पुस्तक, सी वी सी मार्गनिर्देशों, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी निदेशों, सार्वजनिक प्रापण विधेयक 2012, भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन, एच ए एल क्रय नियमावली और सतर्कता विभाग द्वारा मामलों के प्रहस्तन में प्राप्त व्यावहारिक अनुभवों के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में यथा उपलब्ध प्रापण प्रणाली में पारदर्शिता को बढ़ाने की सर्वोत्तम पद्धतियों का संगम है। इन सामान्य अवधारणाओं का बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग करने के फलस्वरूप सार्वजनिक प्रापण दक्ष होगा और समस्त सहभागियों को समान अवसर प्रदान करते हुए, स्वनिर्णय, लागत और समय की बचत करते हुए पारदर्शिता की आवश्यक अपेक्षाओं को पूरा करेगा।

विभिन्न प्रभागों के एकीकृत सामग्री प्रबंधन (आई एम एम) विभाग के अधिकारियों ने इसके मसौदे में बहुमूल्य सुझाव दिए हैं जिन्हें उपयुक्त रूप से इसमें शामिल किया गया है। उस अर्थ में यह प्रयास संगठन में सहभागिता सतर्कता का निरूपण है। तथापि, यह ध्यातव्य है कि इस पुस्तक में उल्लिखित जाँच बिंदु और उत्कृष्ट पद्धतियाँ एचएएल प्रापण नियमावली, जो विषय पर मुख्य प्राधिकार के रूप में बरकरार रहेगी, को न तो बदलती है और न ही उसकी व्याख्या करती है।

टीम सतर्कता
हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि.

विषय सूची

1. सार्वजनिक प्रापण के आधारभूत सिद्धांत
2. सार्वजनिक प्रापण के स्तंभ
3. सार्वजनिक प्रापण में पारदर्शिता क्यों?
4. वित्तीय औचित्य के मानक
5. क्रय का नीतिशास्त्र
6. प्रापण प्रक्रिया
7. योजना/सामग्री प्रावधान/एम पी आर चरण
8. विक्रेता का पंजीकरण एवं विक्रेता निदेशिका
9. पूर्व-बिड चरण
10. सत्यनिष्ठा समझौता
11. निविदा चरण
12. हित द्वन्द्व
13. निविदा खोलना
14. निविदा संवीक्षा
15. पूर्वअर्हता चरण
16. निविदा मूल्यांकन चरण (तकनीकी)
17. निविदा मूल्यांकन चरण (वाणिज्यिक)
18. मूल्य समझौता
19. सी एफ ए के अनुमोदन के लिए आदेश का प्रक्रम
20. आदेश निष्पादन चरण/संविदा संचालन चरण

21. पूर्व-निविदा
22. विक्रेता पर प्रतिबंध और विक्रेता निदेशिका से उसे हटाना
23. ई-प्रापण
24. प्रापण के सामान्य सिद्धांत (सार्वजनिक प्रापण विधेयक 2012)
25. भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (अनुच्छेद 9) - सार्वजनिक प्रापण और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन
26. ध्यान रखने योग्य बातें

1. सार्वजनिक प्रापण के आधारभूत सिद्धांत

- ✓ विनिर्दिष्ट गुणवत्ता, विनिर्दिष्ट समय और अति प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर उचित, सही और पारदर्शी ढंग से सामग्री /सेवाओं का प्रापण करना ।
- ✓ केन्द्रीय सतर्कता आयोग के मार्गनिर्देशों तथा प्रशासनिक मंत्रालय के निदेशों का अनुपालन करते हुए समान और विधिवत् प्रलेखित नीति अपनाना ।

2. सार्वजनिक प्रापण के स्तंभ

- ✓ धनराशि के अनुसार मूल्य
- ✓ मुक्त और कारगर प्रतिस्पर्धा
- ✓ लेन-देन में नैतिकता और निष्पक्षता
- ✓ उत्तरदायित्व और रिपोर्टिंग
- ✓ साम्यता एवं पारदर्शिता

3. सार्वजनिक प्रापण में पारदर्शिता क्यों?

- ✓ प्रतिस्पर्धा को पोषित करने के लिए पारदर्शिता
- ✓ धनराशि का मूल्य पाने के लिए प्रतिस्पर्धा सर्वोत्तम तरीका
- ✓ सार्वजनिक प्रापण संस्थाओं में पारदर्शिता करदाता के आत्मविश्वास को पोषित करती है
- ✓ भ्रष्टाचार से लड़ने का सबसे शक्तिशाली तरीका

4. वित्तीय औचित्य के मानक

- ✓ सार्वजनिक धन को व्यय करने वाला या व्यय के लिए प्राधिकृत करने वाला प्रत्येक अधिकारी वित्तीय औचित्य के उच्च मानकों से संचालित होना चाहिए।
- ✓ प्रत्येक अधिकारी द्वारा वित्तीय व्यवस्था और सख्त मितव्ययिता भी लागू की जानी चाहिए तथा उसे यह देखना चाहिए कि स्वयं उसके कार्यालय और अधीनस्थ संवितरण अधिकारियों द्वारा समस्त प्रासंगिक वित्तीय नियमों और विनियमों का पालन किया जा रहा है।
- ✓ सार्वजनिक धन से उपचित व्यय के संबंध में प्रत्येक अधिकारी से उसी सतर्कता का पालन करने की आशा की जाती है जैसा कि एक सामान्य विवेक वाला व्यक्ति अपने धन को व्यय करते समय सतर्कता का पालन करता है।
- ✓ कोई भी व्यय प्रथम दृष्ट्या अवसर की माँग से अधिक नहीं होना चाहिए।
- ✓ किसी भी प्राधिकारी द्वारा व्यय की मंजूरी के संबंध में अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए जो प्रत्यक्ष या परोक्ष स्तर से उसके अपने लाभ के लिए हो।

✓ किसी खास व्यक्ति या वर्ग के हित के लिए सार्वजनिक धन का व्यय नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि -

(क) किसी न्यायालय द्वारा धनराशि के लिए दावे को लागू न किया गया हो

(ख) व्यय किसी मान्य नीति या रीति के अनुसरण में न हो

✓ किसी विशेष प्रकार के व्यय को पूरा करने के लिए मंजूर भत्ते की धनराशि को इस प्रकार विनियमित किया जाना चाहिए कि प्राप्तकर्ता के लिए भत्ते लाभ के स्रोत नहीं हैं।

5. क्रय का नीतिशास्त्र

✓ आपूर्तिकर्ताओं से संबंध: क्रय विभाग के कार्मिक अपने समस्त लेन-देन एवं कार्य-सम्पादन में:

(क) उत्कृष्ट हित को ध्यान में रखते हुए स्वयं को अनुकरणीय रूप में प्रस्तुत करेंगे,

(ख) कम्पनी की गरिमा एवं परंपरा तथा स्वयं अपनी वृत्ति का ध्यान रखेंगे। इस संबंध में इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मटीरियल्स मैनेजमेंट द्वारा अंगीकृत कोड ऑफ कंडक्ट ऐंड इथिक्स, जिसे नीचे उद्धृत किया गया है, उनके कार्यों का पथप्रदर्शन करेगा:

i. कार्यालय की गरिमा और दायित्व को क्षति पहुँचाए बगैर समस्त लेन-देन में सर्वप्रथम संगठन के समग्र हित पर ध्यान देना।

ii. प्रत्येक रुपए के व्यय के लिए अधिकतम मूल्य प्राप्त करते हुए, पक्षपात के बगैर खरीद करना।

iii. खरीद और बिक्री में ईमानदारी और सत्य का समर्थन करना और उसके लिए कार्य करना, वाणिज्यिक घूसखोरी के समस्त प्रकारों और अभिव्यक्तियों की निंदा करना और समाज विरोधी कार्यों से बचना।

iv. जहाँ तक परिस्थितियों के दायरे में अनुमेय हो, समस्त वास्तविक व्यापारिक उद्देश्य का तत्परता और विनम्रता से स्वागत करना ।

v. उत्तम व्यापारिक पद्धतियों के अनुकूल अपने तथा अपने संगठन के दायित्वों का आदर करना ।

6. प्रापण प्रक्रिया

- ✓ प्रापण के चक्र समय में कमी हासिल करना प्रापण नियमावली का उद्देश्य होना चाहिए।
- ✓ प्रापण प्रक्रिया प्रौद्योगिकी को प्रभावी, प्रापण प्रक्रम को स्वचालित बनानी चाहिए और प्रापण प्रक्रिया में मानवीय संचार कम होना चाहिए।
- ✓ प्रापण प्रक्रिया की पूरी शृंखला में प्रापण की समग्र लागत को कम करने, कुशल प्रापण एवं संविदा प्रबंध को बढ़ावा देने, प्रभावी प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित करने, पारदर्शिता, समानता, निष्पक्षता, दायित्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रक्रिया का मसौदा तैयार किया जाना चाहिए।
- ✓ पूरी कम्पनी में समान पद्धति लागू होनी चाहिए।
- ✓ प्रापण अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए प्रापण के प्रत्येक चरण जैसे प्रावधान, निविदा, बिड खोलने, बिड का मूल्यांकन करने, आदेश प्रक्रिया एवं संविदा के उपरांत अनुश्रवण, के लिए विस्तृत जाँच सूची तैयार करना अपेक्षित है। यह जाँच सूची प्रापण वृत्तियों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगी और कुशल प्रापण प्रबंध के लिए उपयोगी उपकरण का काम करेगी।

- ✓ विवेकाधिकार को स्पष्ट मार्गनिर्देश और पर्याप्त दायित्वपूर्ण क्रियाविधि के साथ संतुलित समर्थन प्राप्त होना चाहिए।
- ✓ विभिन्न प्रकार के प्रापण के लिए इसमें आदर्श संविदा होनी चाहिए। सफल बिडर के साथ संविदा करने के लिए बिड दस्तावेजों में ऐसी आदर्श संविदाओं को शामिल किया जाना चाहिए।
- ✓ प्रापण प्रबंध में पारिदर्शिता को बढ़ाने और इस प्रक्रिया में लगे अधिकारियों के हित द्वन्द्व से बचने के लिए नैतिक संहिता को तैयार और अधिसूचित करना चाहिए।

7. योजना/सामग्री प्रावधान/एम पी आर चरण

✓ राजस्व बजट के अनुसार अनुमोदित उत्पादन कार्यक्रम के आधार पर आवश्यकताओं का वार्षिक आधार पर समूहन।

✓ यथा लागू वर्तमान स्टॉक, प्रक्रियाधीन आदेशित आपूर्तियों, प्रक्रियाधीन प्रावधान प्रस्ताव, चालू कार्य, संरक्षा स्टॉक आवश्यकता, आदेश स्तर आदि को ध्यान में रखना।

✓ ग्राहक से केवल पुष्ट आदेश पर ही प्रावधान करना और विचार की गई पूर्वानुमानित आवश्यकता तथा राजस्व बाट में अनुमोदन को छोड़ कर ग्राहकों से पूर्वानुमानित आदेशों को आवश्यकताओं में शामिल नहीं करना चाहिए।

✓ आदेश देने एवं विक्रेता द्वारा आपूर्ति में मद की प्रकृति अर्थात् सामग्री का प्रकार, उपभोज्य सामग्री, सामग्री को रखने की अवधि, आपूर्ति में विलम्ब (लीड टाइम) आदि पर विचार करना।

✓ आवश्यकताओं को विभाजित नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके कारण अनेक बार पुनः आदेश देने की स्थिति उत्पन्न होगी।

- ✓ अनावश्यक प्रापण से बचना चाहिए ।
- ✓ परीक्षण आदेश/आदिप्ररूपी आवश्यकताओं के लिए भी, व्यापक व्यापार पर विचार करते हुए न्यूनतम कीमत प्राप्त करने के लिए परियोजना की समग्र अवधि को ध्यान में रखते हुए निविदा में समग्र आवश्यकताओं पर विचार करना चाहिए ।
- ✓ अभिकल्प, विकास और देशीकरण के मामले में, परियोजना की सम्पूर्ण अवधि के दौरान, दीर्घ कालिक व्यापार करारों एवं भावी आदेश के मूल्य के संबंध में प्रापण के समग्र मूल्य पर विचार करते हुए समुचित अनुमोदन प्राधिकारी का ध्यान रखा जाएगा ।

8. विक्रेता का पंजीकरण एवं विक्रेता निदेशिका

✓ सामग्रियों और सेवाओं की नियमित आवश्यकताओं के संबंध में पंजीकरण के लिए विक्रेताओं को आमंत्रित करते हुए प्रेस विज्ञापन जारी किया जाना चाहिए।

✓ कुछ लब्धप्रतिष्ठ निर्माता/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम सामान्यतया औपचारिक पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं देते। ऐसे मामलों में प्रापण अभिकरण उन्हें सूचित करने के उपरांत उनका पंजीकरण कर सकते हैं।

✓ किसी उत्पाद अथवा उत्पाद की श्रेणी के लिए पहचाने गए अनुमोदित विक्रेताओं को विक्रेता निदेशिका के रूप में समेकित करना चाहिए और उन्हें कम्पनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना चाहिए।

✓ सीमित निविदा के दौरान उस श्रेणी में समस्त पंजीकृत विक्रेताओं को एन आई टी/आर एफ क्यू जारी करने के लिए विक्रेता निदेशिका में श्रेणी क्रम में विक्रेताओं की सूची का वर्गीकरण करना चाहिए।

✓ विक्रेता निदेशिका को माह में एक बार अद्यतन बनाना चाहिए और इसे कम्पनी की वेबसाइट पर अपलोड करना चाहिए।

✓ खुली निविदा में भाग लेने वाले सभी विक्रेताओं की संवीक्षा की जानी चाहिए और आगे के आदेश देने के लिए उन पर विचार करने हेतु विक्रेता निदेशिका में उन्हें शामिल करना चाहिए।

✓ अंतिम सफल विक्रेता को विक्रेता निदेशिका में शामिल किया जाना चाहिए।

9. पूर्व-बिड चरण

✓ बिड के मूल्यांकन की दृष्टि से अनावश्यक या अप्रासंगिक मानी गई सूचना बिडरों से नहीं माँगी जानी चाहिए। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि इन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने और इन अपेक्षाओं को पूरा करने में असफलता के परिणामस्वरूप बिडर को अयोग्य करार किया जा सकता है और फलतः घटिया किस्म की प्रतिस्पर्धा की स्थिति उत्पन्न होती है।

✓ आर एफ क्यू/एन आई टी में अनुचित स्तर से ऐसी प्रोन्नत तकनीकी आवश्यकताओं को विनिर्दिष्ट नहीं करना चाहिए कि उपकरण का मात्र न्यून-उपयोग हो। अति विनिर्देशन से प्रतिस्पर्धा बाधित होगी तथा इसके परिणामस्वरूप प्रापण की लागत में वृद्धि होगी।

✓ इसी प्रकार, लघु/अत्यल्प/विस्तृत विनिर्देशन उद्देश्यमूलक प्रयोग को पूरा नहीं कर पाएँगे अथवा अपेक्षित कुशलता या निष्पादन मानक से समझौता करना पड़ेगा और परिणामतः मँगाई गई सामग्री के अस्वीकरण की स्थिति उत्पन्न होगी जिससे कम्पनी को वर्जनीय हानि उठानी पड़ेगी।

✓ विनिर्देशन व्यापक होना चाहिए और अनेक विक्रेताओं द्वारा आपूर्ति सक्षम होना चाहिए।

- ✓ विनिर्देशन में उद्देश्यमूलक प्रयोग के लिए अपेक्षित समुचित गुणता मानक शामिल होना चाहिए।
- ✓ किसी खास उद्देश्य से जुड़े विनिर्देशन के परिणामस्वरूप प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया में केवल एक उत्तर प्राप्त होगा जो कि सार्वजनिक प्रापण के मूल सिद्धांत के विरुद्ध है।
- ✓ माँगकर्ता अधिकारी उन विनिर्देशनों को मात्र दोहरा देते हैं जिनका प्रयोग पूर्ववर्ती संविदाओं में किया गया है। ऐसे मामलों में इससे केवल अकुशलता/लापरवाही का संदेश ही नहीं जाता अपितु प्रतिस्पर्धा बाधित होती है तथा प्रापण की लागत बढ़ जाती है।
- ✓ कुछ निविदाओं में किसी एक प्रतिष्ठान के सूची पत्र से विनिर्देशनों को तैयार किया जाता है जो निविदा में भाग ले सकता है, इस प्रकार यह प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया में बिडर की तरफदारी करने के समान है।
- ✓ कुछ निविदाओं में विनिर्देशन/निष्पादन मानक आवश्यकता से अधिक सख्त होते हैं जो बिडर की संख्या को सीमित करने के साथ संविदा को अनावश्यक रूप से खर्चीला बनाते हैं। प्रतिस्पर्धा के अभाव और उत्पाद के अत्यधिक विनिर्देशन के कारण लागतें बढ़ जाती हैं।

- ✓ आपूर्ति से संबंधित विनिर्देशन/दायरा तैयार करते समय मद/ परिसम्पत्ति के रख-रखाव सहित मद की जीवन चक्र अपेक्षाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
- ✓ विक्रेता द्वारा प्रेषित किए जाने वाले समुचित गुणता प्रमाणपत्र/परीक्षण प्रमाणपत्र के संबंध में, उद्देश्यमूलक आवश्यकताओं के आधार पर, बिड प्रलेखों में विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए।
- ✓ बिड प्रलेखों में संरक्षा संबंधी आवश्यकताओं का सविस्तार उल्लेख करना चाहिए।
- ✓ बिड प्रलेखों में तकनीकी मूल्यांकन के मानकों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।
- ✓ बिड प्रलेखों में वाणिज्यिक मूल्यांकन के मानकों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।
- ✓ निविदा मूल्यांकन मानक अत्यधिक कठोर नहीं होने चाहिए क्योंकि यह प्रभावी प्रतिस्पर्धा को बाधित करेगा।
- ✓ निविदा मूल्यांकन मानक स्पष्ट, कार्यान्वयन योग्य होने चाहिए तथा इसमें अस्पष्टता की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। यह व्यक्तिपरक, अस्पष्ट नहीं होना चाहिए और इसमें अर्थनिर्णय की स्थिति नहीं होनी चाहिए। बिडर को इसकी पूर्व जानकारी होनी चाहिए।

- ✓ अनिवार्य/आवश्यक निविदा खण्डों और शर्तों के विषय में बिड प्रलेखों में विशेष रूप से पूर्व उल्लेख करना चाहिए।
- ✓ निविदा खण्डों/शर्तों का पालन न किए जाने की स्थिति में दण्ड/महत्त्व, यदि कोई हो, को बिड प्रलेखों में स्पष्ट किया जाना चाहिए।
- ✓ बिड प्रलेखों में अनिवार्य और वांछनीय प्रतिमानों/विनिर्देशनों को अग्रिम रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए।
- ✓ वास्तविक प्राक्कलन तैयार किया जाना चाहिए तथा विचार किए गए प्राक्कलन, घटकों के आधार को अभिलिखित करना चाहिए। कम्पनी पर पड़ने वाली पूर्ण लागत के आधार पर प्राक्कलन तैयार किया जाना चाहिए, अर्थात् प्रापण से जुड़े करों एवं शुल्कों और स्थापन तथा प्रचालन जैसे समस्त वित्तीय निहितार्थों को शामिल करना चाहिए।
- ✓ पुनरादेश की स्थिति में, निर्धारित प्रापण प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, चूँकि पुनः स्वीकृति प्रतिमानों आदि में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती, अतः बिड दस्तावेजों में इसे स्पष्ट रूप से प्रकट करना चाहिए।

10. सत्यनिष्ठा समझौता (आई पी)

- ✓ सत्यनिष्ठा समझौता पूर्व-बिड करार होता है जिस पर क्रेता के साथ निविदा में भाग लेने वाले समस्त बिडरों द्वारा हस्ताक्षर होने चाहिए। सत्यनिष्ठा करार पर हस्ताक्षर की अनिवार्य आवश्यकता और शर्तों का उल्लेख बिड दस्तावेज में किया जाना चाहिए।
- ✓ कम्पनी द्वारा किए गए 90% प्रापण सत्यनिष्ठा समझौते में अधिमानतः शामिल होते हैं।
- ✓ सत्यनिष्ठा समझौते के अनुमोदित प्रपत्र में किसी प्रकार के विपथन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाना चाहिए और अनुमोदन प्रदान करना चाहिए।
- ✓ किसी संगठन में सत्यनिष्ठा समझौते को अंगीकार करना स्वैच्छिक होता है, परंतु एक बार अंगीकर किए जाने पर इसमें विनिर्दिष्ट न्यूनतम मूल्य, जिसे संगठन द्वारा स्वयं निर्धारित किया जाना चाहिए, से परे समस्त निविदाएँ/प्रापण शामिल होने चाहिए।
- ✓ संविदा के समस्त वाक्यांश अर्थात् निविदा आमंत्रण सूचना/पूर्व बिड चरण से अंतिम भुगतान या आगामी चरण, वारंटी, गारंटी आदि तक सत्यनिष्ठा समझौते में शामिल किए जाने चाहिए।

✓ सत्यनिष्ठा समझौते के कार्यान्वयन के लिए आई ई एम अत्यंत महत्त्वपूर्ण होते हैं और निविदा आमंत्रण सूचना (एन आई टी) में कम से कम एक आई ई एम को निरंतर उद्धृत करना चाहिए। तथापि, किसी निविदा प्रक्रिया से उत्पन्न शिकायतों पर विचार करते समय वांछित पारदर्शिता और विषयनिष्ठता को सुनिश्चित करने के लिए मामले को पूर्ण आई ई एम पैनल को भेजना चाहिए जो अभिलेखों की छानबीन करेंगे, जाँच करेंगे तथा संयुक्त निष्कर्ष देते हुए प्रबंध के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

11. निविदा चरण

- ✓ पर्याप्त प्रचार किया जाना चाहिए।
- ✓ पर्याप्त और कारगर प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- ✓ नामांकन के आधार पर निविदा अथवा एकल आधार पर निविदा से बचना चाहिए। अपरिहार्य परिस्थितियों की स्थिति में उपरोक्त का सहारा लेने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना चाहिए तथा मूल्य का औचित्य दिया जाना चाहिए।
- ✓ बिडरों को **समान अवसर** मिलना चाहिए। उदाहरणार्थ, विनिर्देशन, आपूर्ति का दायरा, शर्तें आदि सामान्य तथा सभी बिडरों पर लागू होनी चाहिए।
- ✓ **प्रवेश अवरोध**, (सख्त पूर्व अर्हता) से बचना चाहिए क्योंकि इससे नए बिडरों का प्रवेश प्रतिबंधित अथवा अवरुद्ध हो सकता है तथा इससे उत्पादक संघ के गठन को बढ़ावा मिल सकता है।
- ✓ **अल्पावधि सीमा रेखा**। निविदा की जाने वाली मद / उपकरण की प्रकृति, अपनाए जाने वाले निविदा के प्रकार अर्थात् सीमित, खुली एवं वैश्विक, के आधार पर निविदा के उत्तर के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।

- ✓ प्रापण प्रक्रिया और पंजीकृत विक्रेताओं की संख्या की उपलब्धता के आधार पर **निविदा का प्रकार**, अर्थात् सीमित या खुली, के विषय में निर्णय करना चाहिए।
- ✓ विक्रेता निदेशिका से विक्रेता का चयन पारदर्शी और पूर्वनिर्धारित चयन मानक के आधार पर होना चाहिए।
- ✓ निविदा प्रक्रिया में बिचौलियों और दलालों को भाग लने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। समस्त बिडरों को प्रलेखों के माध्यम से इस पहलू की पूर्व जानकारी देनी चाहिए।
- ✓ मूल उपकरण निर्माता (ओ ई एम) के मामले में वितरकों/शृंखला भागीदारों के साथ व्यापार करने पर बल देने के लिए, उनके साथ व्यापार करने से पूर्व ऐसे प्राधिकार दस्तावेजों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने में यथोचित कर्मठता का पालन किया जाना चाहिए।
- ✓ यदि किसी स्वामित्व वाली मद के लिए एक से अधिक वितरक उपलब्ध हैं तो ऐसे समस्त वितरकों को सीमित निविदा जारी की जानी चाहिए।
- ✓ विक्रेताओं के चयन का आधार और उनके चयन के लिए अपनाए गए मानकों को लिखित में दर्ज करना

✓ आवश्यकता विभक्त नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक संभव हो, माँग/ आवश्यकता को समूहित एवं समेकित करना चाहिए जो बड़ी मात्रा में व्यापार के कारण प्रापण की लागत कम करने में सहायक होगा।

✓ जहाँ कहीं भी तकनीकी मूल्यांकन अपेक्षित हो, दो-बिड प्रणाली का पालन करना चाहिए।

✓ बिड प्रलेख अर्थात् एन आई टी या आर एफ क्यू अंतरणीय नहीं होते। बिड प्रलेखों में इस पहलू को स्पष्ट करना चाहिए।

✓ सीमित निविदा प्रक्रिया में अप्रार्थित बिड स्वीकार नहीं करना चाहिए।

✓ बिडरों को आपूर्त किए जा रहे आँकड़ों/ प्रलेखों की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए बिड प्रलेखों की शर्तों के अनुसार अप्रकटन करार (एन डी ए), यदि कोई हो, पर बिडरों के हस्ताक्षर होने चाहिए।

✓ निविदाकर्ता अभिकरण द्वारा नमूनों / दस्तावेजों, यदि कोई हों, की आपूर्ति और बिडरों द्वारा उन्हें वापस करने की शर्तों को बिड प्रलेखों में सुस्पष्ट किया जाना चाहिए।

✓ जब मँगाया जाने वाला उपकरण/संयंत्र जटिल प्रकृति का हो और वांछित पारदर्शी प्रापण के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रापणकर्ता संगठन के पास बाज़ार में उपलब्ध विभिन्न तकनीकी उपायों का पूर्ण ज्ञान न हो तो पारदर्शी ढंग से अनुभवी निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं के साथ तकनीकी चर्चा/प्रस्तुतीकरण के आधार पर निविदा आमंत्रित करना (एक्सप्रेसन ऑफ़ इंटेरेस्ट)/विनिर्देशनों को अंतिम रूप देना विवेक सम्मत होगा। जब एक बार तकनीकी विनिर्देशन और मूल्यांकन मानक तय हो जाएँ तो प्रत्येक स्थिति की आवश्यकता के अनुसार एकल बिड अथवा दो बिड प्रणालियों के अन्तर्गत सामान्य निविदा प्रणाली के मुताबिक तकनीकी वाणिज्यिक बिड के लिए दूसरे चरण की निविदा जारी की जा सकती है।

✓ बिडर द्वारा विभिन्न चरणों में **नमूने की आपूर्ति**, परीक्षण पद्धति, परीक्षण प्रतिमानों, चयन स्वीकृति प्रतिमानों आदि को बिड प्रलेख में स्पष्ट किया जाना चाहिए।

✓ बिडों को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख और समय का उल्लेख बिड दस्तावेजों में किया जाना चाहिए। विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं करना चाहिए और इन्हें बिना खोले बिडरों को वापस कर देना चाहिए।

- ✓ **अहस्ताक्षरित बिडों** और पत्रों को स्वीकार और इन पर विचार नहीं करना चाहिए।
- ✓ पारदर्शिता को बढ़ावा देने के विचार से निविदा के विवरणों बिड, प्रलेखों, सफल बिडर का नाम और निर्णीत संविदाओं के विवरणों को वेबसाइट पर दर्शाना चाहिए।
- ✓ बिडरों को स्पष्टीकरण देने के लिए यदि कोई पूर्व-बिड परामर्श निर्धारित किया गया हो, तो इसे निविदा प्रलेख में इंगित करना चाहिए और साथ ही कम्पनी की वेबसाइट पर दर्शाना चाहिए।

12. हित द्वन्द्व

- ✓ बिडरों तथा अन्य व्यक्तियों अथवा अधिकारियों के कारण उत्पन्न किसी हित द्वन्द्व से बचना चाहिए। उदाहरण के लिए, परियोजना परामर्शदाता को उस परियोजना की किसी भी निविदा में बिड की अनुमति नहीं देनी चाहिए।
- ✓ निविदा प्रक्रिया से जुड़े समस्त प्राधिकारियों को यह अभिपुष्ट करना चाहिए कि प्रक्रियाधीन विषयगत निविदा में उनका हित द्वन्द्व नहीं है।
- ✓ किसी निविदा में प्रमुख/ मूल उपकरण निर्माता (ओ ई एम) बिड कर सकते हैं परंतु वे दोनों ही उसी निविदा में उसी मद/उत्पाद के लिए साथ-साथ बिड नहीं कर सकते।
- ✓ यदि कोई अभिकर्ता प्रमुख/मूल उपकरण निर्माता (ओ ई एम) की ओर से बिड प्रस्तुत करता है तो वही अभिकर्ता उसी निविदा में उसी मद/उत्पाद के लिए किसी दूसरे प्रमुख/मूल उपकरण निर्माता (ओ ई एम) की ओर से बिड प्रस्तुत नहीं करेगा।
- ✓ बिड प्रलेखों में यह स्पष्ट रूप से इंगित किया जाना चाहिए कि क्या कोई विक्रेता एक से अधिक बिड प्रस्तुत कर सकता है। उदाहरणार्थ, कुछ बिडर विकल्प-1, विकल्प-2 आदि के लिए कोट करते हैं। निविदा में स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए कि उसी बिडर द्वारा प्रस्तुत अनेक बिडों पर विचार किया जाएगा अथवा नहीं।

13. निविदा खोलना

- ✓ बिड प्रलेखों में निविदा खोलने की तारीख, समय और स्थान को विनिर्दिष्ट करना चाहिए तथा बिडरों को निविदा खोलते समय उपस्थित रहने हेतु आमंत्रित करना चाहिए।
- ✓ साक्षी बिडरों की उपस्थिति में, निविदा प्रलेखों में उल्लिखित दिनांक और निविदा खोलने के समय पर निविदा खोलने वाली समिति द्वारा निविदाएँ खोली जानी चाहिए।
- ✓ निविदा खोलने वाली समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा बिडरों के प्रस्तुत निविदा प्रलेखों के प्रत्येक पृष्ठ को प्रमाणित किया जाना चाहिए। समिति द्वारा पाई गई किसी भी विसंगति को अभिलिखित किया जाना चाहिए।

14. निविदा संवीक्षा

- ✓ इस बात की अभिपुष्टि करने के लिए प्रापण अधिकारियों द्वारा बिडों की संवीक्षा की जानी चाहिए कि प्रत्येक बिडर द्वारा ई एम डी, सत्यनिष्ठा समझौता, नमूने, यदि कोई हों, तथा बिड-पूर्व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं ताकि यह निर्णय किया जा सके कि निविदा शर्तों का पालन न करने वाले बिडों को स्वीकार अथवा अस्वीकार किया जाए।
- ✓ बिडों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने में विवेक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। निविदा प्रलेखों में अधिसूचित मानकों के अनुसार निविदा संवीक्षा की जाएगी।
- ✓ केवल निविदा शर्तों का अनुपालन करने वाली बिडों का ही तकनीकी मूल्यांकन किया जाएगा।

15 पूर्व-अर्हता चरण

- ✓ तीन चरणों वाली बिडिंग के मामले में सर्वप्रथम पूर्व-अर्हता वाली बिड को खोला जाएगा और इसका मूल्यांकन किया जाएगा।
- ✓ पूर्व-अर्हता वाली बिडों के मूल्यांकन के लिए विधिवत नामित समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
- ✓ बिड दस्तावेजों में अधिसूचित मूल्यांकन मानकों के अनुसार मूल्यांकन होना चाहिए।
- ✓ मूल्यांकन के परिणाम उन समस्त बिडरों को अधिसूचित किए जाने चाहिए जिन्होंने बिड प्रस्तुत किया है।
- ✓ अस्वीकृत बिडरों की तकनीकी एवं वाणिज्यिक बिडों को, उनकी पूर्व अर्हता बिड के अस्वीकार करने के कारणों को बताते हुए, बिना खोले वापस कर देना चाहिए।

16. निविदा मूल्यांकन चरण (तकनीकी)

- ✓ निविदा प्रलेखों में अधिसूचित तकनीकी मूल्यांकन मानकों के अनुसार मूल्यांकन किया जाना चाहिए
- ✓ विधिवत गठित तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा तकनीकी मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
- ✓ प्रत्येक बिडर द्वारा, बिड दस्तावेजों में स्पष्ट किए गए निविदा विनिर्देशनों एवं तकनीकी प्रतिमानों का मदवार या प्रतिमानवार अनुपालन मैट्रिक्स प्रपत्र में तालिकाबद्ध करना चाहिए। इस अनुपालन विवरण पर तकनीकी मूल्यांकन समिति (टी ई सी) के प्रत्येक सदस्य के हस्ताक्षर और प्रमाणन होने चाहिए।
- ✓ प्रत्येक बिड की स्वीकार्यता या अन्यत्र स्थिति के संबंध में तकनीकी संस्तुति स्पष्ट, असंदिग्ध और साफ-साफ होनी चाहिए। स्वीकृति या अस्वीकृति के कारणों को टी ई सी द्वारा अभिलिखित एवं अनुमोदित किया जाना चाहिए।
- ✓ निविदाकृत विनिर्देश या आपूर्ति दायरे में निविदा के उपरांत कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर पुनर्निविदा का सहारा लिया जाना चाहिए।

✓ बिडरों द्वारा प्रस्तुत बिडों और उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर बिडों का मूल्यांकन करना चाहिए। बिडरों से स्पष्टीकरण प्राप्त करते समय सभी बिडरों को समान अवसर देना चाहिए।

✓ बिडरों द्वारा टी ई सी को दिए गए प्रस्तुतीकरण और बिड दस्तावेजों में अधिसूचित मूल्यांकन मानदण्डों के आधार पर ही बिड का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। बिड की अपेक्षा के अनुसार प्रस्तुतीकरण/प्रदर्शन की स्थिति में ऐसे मूल्यांकन के मानदण्डों को भी बिड प्रलेखों में अधिसूचित करना चाहिए।

✓ यदि बिडरों के यहाँ उपलब्ध सुविधाओं का स्थान निरीक्षण या मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित हो, तो मनमाने ढंग से बिडों के मूल्यांकन से बचने के लिए इस प्रकार की पद्धति के निर्धारण एवं मूल्यांकन के लिए विस्तृत मानदण्डों को बिड प्रलेखों में अधिसूचित करना चाहिए।

✓ निविदा दस्तावेजों में अधिसूचित मूल्यांकन मानदण्डों के अनुसार तकनीकी मूल्यांकन किया जाना चाहिए और बिडों का मूल्यांकन मनमाने ढंग से नहीं करना चाहिए।

✓ हालाँकि यह माना जाता है कि ऐसी मदों की आपूर्ति के लिए शेड, फील, परिसज्जा, कारीगरी जैसे अनिश्चित प्रतिमानों के संबंध में आधार प्रदान करने के लिए अनुमोदन हेतु नमूनों की आवश्यकता पड़ सकती है परंतु निर्णय लेते समय निविदा नमूनों को अनुमोदित/अस्वीकृत करना व्यक्तिपरक होता है और विशेषतौर पर विस्तृत विनिर्देशों वाली मदों के लिए इसे उपयुक्त नहीं माना जाता। ऐसे मामलों में प्रतिस्पर्धा के अभाव के परिणामस्वरूप उच्च दरों पर ठेका दिए जाने की संभावना रहती है।

✓ अतः यह सलाह दी जाती है कि सरकारी विभाग/संगठन विस्तृत विनिर्देशनों के आधार पर ऐसी मदों के प्रापण पर विचार करें। यदि अपेक्षित हो तो आपूर्ति से संबंधित थोक उत्पादन हेतु अनुमति देने से पूर्व शेड/टोन, आकार, निर्माण, फील, फिनिश और कारीगरी जैसे अनिश्चित प्रतिमानों के लिए सफल बिडरों द्वारा नमूने को अग्रिम रूप में प्रस्तुत करने की शर्त निर्धारित की जा सकती है। यह प्रणाली निविदा निर्णय चरण पर केवल व्यक्तिपरकता से ही नहीं बचाएगी अपितु बिडरों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को भी सुनिश्चित करेगी और इस प्रकार गुणवत्ता तथा मूल्य की यथातथ्यता का भी ध्यान रखेगी।

17. निविदा मूल्यांकन चरण (वाणिज्यिक)

- ✓ जिन बिडरों के तकनीकी बिडों को अस्वीकार कर दिया गया है उनके न खुले हुए वाणिज्यिक बिडों को न खुली हुई अवस्था में ही वापिस कर देना चाहिए।
- ✓ बिड दस्तावेजों में अधिसूचित मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार वाणिज्यिक मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
- ✓ निविदा प्राथमिकता के विषय में निर्णय लेने के लिए कोट के तुलनात्मक विवरण में उसी तुलनात्मक स्तर में समस्त बिडों को रखने के लिए समुचित भारण और लेवलिंग की जानी चाहिए।
- ✓ बिड दस्तावेजों में बिडों के भारण और लेवलिंग के लिए प्रमिमान अथवा पद्धति को स्पष्ट किया जाना चाहिए।
- ✓ बिडों का मूल्यांकन कंपनी लागत के आधार पर करना चाहिए। बिड की शर्तों से उत्पन्न समस्त वित्तीय मामलों को सीएसक्यू से संबंधित बिडों में मूल्यांकित और भारित करना चाहिए।
- ✓ शर्तात्मक बिडों को अस्वीकार किया जाना चाहिए।

- ✓ कोट की मान्यता अवधि के अंतर्गत अनुमोदन के लिए बिडों का मूल्यांकन एवं प्रक्रमण करना चाहिए ।
- ✓ वाणिज्यिक मूल्यांकन चरण के दौरान बिडरों के साथ पत्र-व्यवहार से बचना चाहिए ।
- ✓ समुचित प्रापण प्राधिकारी और समुचित वित्तीय सहमति प्रदाता प्राधिकारी द्वारा सीएसक्यू का मूल्यांकन और अनुमोदन किया जाना चाहिए ।
- ✓ निविदा प्राथमिकता को अंतिम रूप दिए जाने पर असफल बिडरों की अग्रिम धनराशि (ईएमडी) यथाशीघ्र वापिस की जानी चाहिए ।

18. मूल्य समझौता

- ✓ विधिवत नियुक्त समिति द्वारा मूल्य समझौता किया जाना चाहिए ।
- ✓ बिडर के साथ मूल्य समझौते से संबंधित चर्चा की कार्यवाहियों को संबंधित प्रापण प्रस्ताव में रखना चाहिए ।
- ✓ यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोट की मान्यता के अंतर्गत मूल्य समझौता किया जा रहा है और समझौते के कारण प्रापण प्रक्रिया में विलंब नहीं होना चाहिए ।
- ✓ सामान्यतौर पर निविदा के उपरांत कोई समझौता नहीं होना चाहिए । यदि अपवादात्मक परिस्थितियों में समझौता बिलकुल ही अनिवार्य हो तो यह एल1 (न्यूनतम निविदाकार) के साथ ही हो सकता है ।
- ✓ चूंकि समझौता के उपरांत निविदा भ्रष्टाचार का स्रोत हो सकती है, अतः कुछ अपवादात्मक स्थितियों को छोड़कर एल1 के साथ निविदा के उपरांत समझौता नहीं किया जाना चाहिए । इन अपवादात्मक स्थितियों में प्राथमिकता वाली मर्दे, आपूर्ति की सीमित स्रोत वाली मर्दे और ऐसी मर्दे शामिल होंगी जहाँ व्यापारिक संघ के गठन का संदेह हो । बिना कोई समय बर्बाद किए ऐसे समझौतों के औचित्य और विवरणों को अभिलिखित तथा प्रलेखित करना चाहिए ।

✓ संदेहास्पद इरादों अथवा निर्णय लेने में विलंब से एल1 के साथ मोल-तोल करने के साधन के रूप में समझौते के दुस्प्रयोग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

✓ निविदा को स्वीकार करते समय या समझौते के लिए आदेश देते समय या पारिभाषित समय-सीमा के अंतर्गत पुनर्निविदा जारी करते समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथोचित सचेष्टता बरती जानी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि निविदाएँ मान्यता अवधि के अंतर्गत ही अविच्छिन्न रूप से निर्धारित की जाती हैं।

19. सीएफए के अनुमोदन के लिए आदेश का प्रक्रम

- ✓ वित्त विभाग की समुचित सहमति के साथ समुचित सीएफए के पूर्व अनुमोदन हेतु प्रापण प्रस्ताव को प्रक्रमित किया जाना चाहिए ।
- ✓ पर्याप्त औचित्य, गुणता प्रावधान, मूल्य की यथातथ्यता, मूल्य वसूली के साथ प्रापण प्रस्ताव स्वतःपूर्ण और स्वतःस्पष्ट होना चाहिए । विषयगत प्रापण प्रस्ताव से उत्पन्न संपूर्ण वित्तीय मामलों को इसमें स्पष्ट करना चाहिए ।
- ✓ कोट की मान्यता के अंतर्गत संबंधित प्राधिकारियों द्वारा प्रापण प्रस्ताव की तैयारी करनी चाहिए ।
- ✓ यह अभिपुष्टि करने के लिए समुचित वित्तीय सहमति प्रदाता प्राधिकारी द्वारा प्रापण प्रस्ताव की पूर्व लेखापरीक्षा की जानी चाहिए कि विषयगत प्रस्ताव निर्धारित प्रापण प्रक्रिया, वित्तीय औचित्य के मानकों और मंजूर बजट में निधियों की उपलब्धता के अनुसार है ।

20. आदेश निष्पादन चरण/संविदा संचालन चरण

- ✓ बिडर द्वारा हासिल की गई निविदा किसी तीसरे पक्ष को अंतरित नहीं की जा सकती । इसलिए केवल बिड हासिल करने वाले बिडर के साथ ही संविदा की जानी चाहिए । बिड दस्तावेजों में, जिसका मूल्यांकन किया गया था और प्रापण अभिकरण द्वारा जिसे स्वीकार किया गया था, बिडर द्वारा अधिसूचित उप-संविदगत सीमा को छोड़कर, संविदा के उप-ढेके की भी अनुमति नहीं होती ।
- ✓ प्रत्याभूति जमा, निष्पादन बैंक गारंटी आदि के समान बिडर के पक्ष में निविदा की शर्तों में छूट नहीं दी जानी चाहिए ।
- ✓ सुपुर्दगी अवधि, भुगतान की अवधि, निरीक्षण एवं स्वीकृति आदि के मामले में बिडर के पक्ष में निविदा की शर्तों में कोई शिथिलता नहीं बरतनी चाहिए ।
- ✓ विनिर्देशन अथवा आपूर्ति के दायरे के संबंध में निविदा के बाद किसी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।
- ✓ संविदा/क्रय आदेश में निर्धारित शर्तों के अनुसार माल अथवा सेवाओं की आपूर्ति की जाँच की जानी चाहिए और तदनुसार इसे स्वीकार करना चाहिए ।

✓ संविदा की शर्तों के अनुसार विक्रेता को भुगतान किया जाना चाहिए तथा भुगतान में किसी प्रकार का विलंब नहीं होना चाहिए ।

✓ यदि जारीकर्ता बैंक से सीधे बैंक गारंटी प्राप्त नहीं होती है तो विक्रेता द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी का सत्यापन जारीकर्ता बैंक से कराना चाहिए ।

21. पुनर्निविदा:

- ✓ पुनर्निविदा हेतु प्रस्ताव के कारणों को अभिलिखित करना चाहिए ।
- ✓ निविदा प्रक्रिया द्वारा पहचाने गए बिडर (एल1) को आदेश से वंचित करने के लिए तुच्छ आधार पर पुनर्निविदा का सहारा नहीं लेना चाहिए ।
- ✓ सक्षम प्राधिकारी से पूर्वनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत ही पुनर्निविदा का सहारा लेना चाहिए ।

22. विक्रेता पर प्रतिबंध एवं विक्रेता निदेशिका से उसे हटाना

- ✓ की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के संबंध में विक्रेता को कारण बताओ नोटिस जारी करना चाहिए। उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर निर्णय लेना चाहिए।
- ✓ विक्रेता के खिलाफ आगे बढ़ने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए। विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु कारणों को अभिलिखित करना चाहिए।
- ✓ प्रापण प्रक्रिया में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

23. ई-प्रापण

- ✓ ई-प्रापण में निम्नलिखित शामिल हैं :
 - क) ई-निविदा जारी करना
 - ख) ई-नीलामी अग्र नीलामी एवं प्रतिलोम नीलामी
- ✓ विक्रेताओं के ऑनलाइन पंजीकरण का प्रावधान इसमें होना चाहिए ।
- ✓ पारंपरिक नीलामी **अग्र नीलामी** होती है । इसमें सामान्यतः एक विक्रेता होता है जो बिक्री के लिए मद का प्रस्ताव करता है जबकि संभावित खरीदार खरीद के लिए एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं । इस प्रकार तब तक मूल्य बढ़ता जाता है जब तक कि कोई भी क्रेता आगे बढ़ने की इच्छा व्यक्त न करे । रद्दी माल के निपटान के लिए अग्र नीलामी आदर्श पद्धति है ।
- ✓ **प्रतिलोम नीलामी** में, जहाँ किसी उत्पाद के बहुसंख्यक विक्रेता प्रतिस्पर्धात्मक बिड करते हैं, वहाँ मूल्य घटता जाता है । उच्च प्रतिस्पर्धा वाली मदों के प्रापण के लिए, जिसके लिए अनेक विक्रेता उपलब्ध होते हैं, तो यह पद्धति सबसे उपयुक्त होती है ।
- ✓ ई-प्रापण से अभिप्राय है इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए माल एवं सेवाओं का प्रापण । आदर्शतः इसमें '**प्रापण प्रक्रिया का समग्र जीवनचक्र शामिल होता है**' ।

✓ इसका उद्देश्य है वेब आधारित वास्तविक समय वातावरण में निविदा बिड के प्रस्तुतीकरण की अवस्था से लेकर आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान तक संभवतः समग्र प्रापण प्रक्रिया को स्वचालित बनाना है ।

✓ कारगर प्रापण संचालन के लिए ई-प्रापण प्रक्रिया में समग्र प्रापण प्रक्रिया शामिल होनी चाहिए अर्थात् इसमें आदर्श रूप से पूर्व निविदा प्रक्रिया, ऑनलाइन विक्रेता निदेशिका, बिड होस्टिंग, बिड अपलोडिंग, ईएमडी आदि के ऑनलाइन भुगतान का प्रावधान शामिल होना चाहिए । इसमें निविदा खोलना, तकनीकी मूल्यांकन, वाणिज्यिक मूल्यांकन, आदेश देना, निविदा के उपरांत प्रबंधन तथा ऑनलाइन विक्रेता दर प्रक्रम शामिल होते हैं ।

✓ ई-प्रापण के जरिए पारंपरिक प्रापण में होने वाले अनेक दवाब/विलंब को हल किया जा सकता है ।

✓ ई-प्रापण पोर्टल में उस श्रेणी की मदों के लिए समस्त पंजीकृत विक्रेताओं पर सीमित निविदा जाँच हेतु विचार किया जाना चाहिए ।

✓ ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से पंजीकृत सभी विक्रेताओं को एनआईटी/आरएफक्यू के जारी होने की सूचना दी जानी चाहिए ।

✓ पारदर्शिता को बढ़ावा देने के विचार से निविदा प्राथमिकता पर निर्णय करने के तुरंत बाद निविदा में भाग लेने वाले समस्त विक्रेताओं को ई-मेल/एसएमएस के जरिए निविदा प्राथमिकता के संबंध में सूचित करना चाहिए ।

✓ विक्रेताओं द्वारा आपूर्त सामग्री की रसीद निरीक्षण और स्वीकृति के अनुश्रवण हेतु विक्रेताओं के लिए ई-प्रापण पोर्टल में ऑनलाइन टूल उपलब्ध कराना चाहिए ।

✓ जारी किए गए भुगतान की स्थिति का अनुश्रवण करने के लिए ई-पोर्टल में विक्रेताओं को टूल प्रदान किया जाना चाहिए ।

✓ भुगतान की मैनुअल प्रक्रिया से बचने के लिए एकीकृत ईआरपी प्रणाली में ऑनलाइन भुगतान गेटवे के जरिए विक्रेताओं/ठेकेदारों को सीधे भुगतान करना चाहिए ।

24. प्रापण के सामान्य सिद्धांत (सार्वजनिक प्रापण विधेयक 2012 के अनुसार)

✓ सार्वजनिक प्रापण के संबंध में प्रापणकर्ता निम्नलिखित के प्रति उत्तरदायी होगा,

- (क) कुशलता, मितव्ययिता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करना ;
- (ख) बिडरों के साथ उचित व समान बर्ताव करना;
- (ग) प्रति स्पर्धा को बढ़ाना;
- (घ) यह सुनिश्चित करना कि सफल बिड का मूल्य यथोचित या अपेक्षित गुणवत्ता के अनुरूप है; और
- (ङ) भ्रष्ट आचरण के निवारण के लिए कार्यविधि तैयार करना;

✓ **तकनीकी विनिर्देशन** : प्रापण के विषय से संबंधित विवरण पूर्व अर्हता प्रलेख, बिडर पंजीकरण प्रलेख और बिडिंग प्रलेख, जैसी स्थिति हो, में इस प्रकार निर्धारित किया जाना चाहिए कि

- (क) यह प्रापणकर्ता की जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करता हो;
- (ख) यथा व्यवहार्यत:
 - (i) यह उद्देश्यमूलक, कार्यात्मक, सामान्य और मापनीय है;
 - (ii) यह अपेक्षित तकनीकी, गुणात्मक और निष्पादन विशेषताओं को निर्धारित करता है;

(i) यह किसी खास ट्रेडमार्क, व्यापारिक नाम अथवा ब्रांड की अपेक्षा को इंगित नहीं करेगा;

(ग) यह यथा निर्धारित मार्गनिर्देशों के अनुरूप है ;

जहाँ कहीं लागू हो, तकनीकी विनिर्देशन यथा व्यवहार्य राष्ट्रीय तकनीकी विनिर्देशनों अथवा मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय मानकों अथवा बिल्डिंग कोड्स, जहाँ कहीं ऐसे मानक उपलब्ध हों, पर आधारित होंगे और इनके अभाव में ये प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित होंगे; बशर्ते, कारणों को अभिलिखित करते हुए, प्रापणकर्ता ऐसे मामलों में भी समान अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर तकनीकी विनिर्देशनों को आधार बनाएगा जहाँ राष्ट्रीय तकनीकी विनियम अथवा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय मानक या बिल्डिंग कोड उपलब्ध हों ।

✓ **बिल्डिंग प्रलेख** में निम्नलिखित बातें होंगी

(क) प्रापण से संबंधित विषय का विवरण;

(ख) निम्नलिखित के प्रापण के मामले में;

(i) माल, इसकी प्रकृति, मात्रा, समय और सुपुर्दगी का अथवा के स्थान सहित इसके विनिर्देशन;

(ii) कार्य, कार्य की प्रकृति और स्थान;

(iii) सेवाएँ, सेवाओं की प्रकृति और ऐसे स्थान जहाँ इन्हें प्रदान किया जाना है;

- (ग) सहभागिता की सीमा;
- (घ) बिडों के प्रस्तुतीकरण का ढंग दिनांक व समय;
- (ङ) बिडों के मूल्यांकन के लिए मानदंड;
- (च) प्रापण संविदा की अनिवार्य शर्तें;
- (छ) अन्य कोई सूचना जिसे प्रापणकर्ता बिड प्रस्तुत करने हेतु बिडरों के लिए आवश्यक समझे;

✓ **बिड मूल्यांकन मानदंड** प्रापण के विषय से संबद्ध होगा और इसमें यथा लागू निम्नलिखित शामिल होंगे

- (क) मूल्य;
- (ख) माल अथवा कार्य के प्रचालन, रखरखाव एवं मरम्मत की लागत;
- (ग) माल की सुपुर्दगी, कार्य के पूरा होने का समय अथवा सेवा का प्रावधान;
- (घ) प्रापण के विषय से संबंधित विशेषताएँ, जैसे, माल अथवा कार्य की कार्यात्मक विशेषताएँ अथवा विषय से संबंधित मामले पर्यावरण विशेषताएँ;
- (ङ) प्रापण से संबंधित वस्तु के संबंध में भुगतान और गारंटी की शर्तें;
- (च) जहाँ कहीं प्रासंगिक हो वहाँ गुणता आधारित मानदंड जैसे, बिडर और प्रापण में

- (I) जहाँ कहीं आवश्यक समा जाए वहाँ प्रापणकर्ता बिड की तकनीकी पद्धति के मूल्यांकन के संबंध में परीक्षण, नमूना परीक्षण और अतिरिक्त पद्धतियों को विनिर्दिष्ट कर सकता है बशर्ते ऐसे परीक्षणों, नमूना परीक्षणों अथवा मूल्यांकन की अतिरिक्त पद्धतियों को बिड प्रलेख में सूचित किया जाएगा तथा ऐसे परीक्षणों का अभिलेख यथानिर्धारित ढंग से रखा जाएगा;
- (ii) जहाँ तक व्यवहार्य है, मूल्यरहित समस्त मूल्यांकन मानदंड उद्देश्यमूलक और मात्रात्मक होंगे;
- (iii) बिडों के मूल्यांकन हेतु मानदंड का उल्लेख बिडिंग प्रलेखों में किया जाएगा;
- (iv) जहाँ कहीं लागू हो, प्रत्येक मानदंड के साथ प्रासंगिक महत्त्व का उल्लेख किया जाएगा और इसे बिडिंग प्रलेख में विनिर्दिष्ट किया जाएगा;
- (v) बिडिंग प्रलेख में उल्लिखित से भिन्न कोई अन्य मानदंड या प्रक्रिया का प्रयोग बिड के मूल्यांकन में प्रापणकर्ता द्वारा नहीं किया जाएगा;

25. भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन :
"अनुच्छेद 9" - सार्वजनिक प्रापण तथा सार्वजनिक
वित्त प्रबंधन:

✓ कानूनी प्रणाली के मूलभूत सिद्धांतों के अनुसार प्रत्येक स्टेट पार्टी भ्रष्टाचार को रोकने में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा तथा साथ-साथ निर्णय लेने में कारगर उद्देश्यमूलक मानदंडों के आधार पर प्रापण की समुचित प्रणाली स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी । ऐसी प्रणाली प्रयोग की दृष्टि से न्यूनतम मूल्य को ध्यान में रखते हुए साथ-साथ निम्नलिखित पर विचार करेगी:

क) प्रापण प्रक्रियाओं और संविदाओं तथा निविदा आमंत्रण विषयक सूचना और संविदा प्रदान करने के संबंध में प्रासंगिक या सुसंगत सूचना, संभावित निविदाकारों को निविदाएँ तैयार करने और प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त समय देने से संबंधित सूचना का सार्वजनिक वितरण;

ख) सहभागिता तथा मानदंड के चयन एवं उन्हें प्रदान करने तथा निविदा के नियमों और उनके प्रकाशन की शर्तों को अग्रिम तौर पर स्थापित करना;

ग) नियमों अथवा प्रक्रियाओं के सही प्रयोग के सत्यापन को सुकर बनाने के लिए सार्वजनिक प्रापण निर्णयों हेतु उद्देश्यमूलक और पूर्वनिर्धारित मानदंडों का प्रयोग;

घ) ऐसी स्थिति में जबकि इस अनुच्छेद के अनुसरण में स्थापित नियमों अथवा प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जाता, अपील की कारगर प्रणाली सहित आंतरिक समीक्षा की प्रभावी प्रणाली;

ङ) जहाँ कहीं उचित हो, प्रापण के लिए उत्तरदायी कार्मिकों के संबंध में मामले को विनियमित करने के उपाय जैसे, विशेष तौर से सार्वजनिक प्रापण में सचि की घोषणा, जाँच प्रक्रियाएँ और प्रशिक्षण आवश्यकताएँ;

✓ सार्वजनिक वित्त प्रबंधन में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिए कानूनी प्रणाली के मूलभूत सिद्धांतों के अनुसार प्रत्येक स्टेट पार्टी समुचित उपाय करेगी । ऐसे उपायों में साथ-साथ निम्नलिखित बातें शामिल होंगी;

क) राष्ट्रीय बाट को स्वीकार करने की प्रक्रिया;

ख) राजस्व और व्यय पर समयानुसार रिपोर्टिंग;

ग) लेखा प्रणाली और लेखापरीक्षा मानकों की प्रणाली तथा संबंधित चूक;

घ) जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण के लिए कारगर एवं कुशल प्रणालियाँ; और

ङ) जहाँ कहीं उचित हो वहाँ इस अनुच्छेद में स्थापित अपेक्षाओं का पालन करने में चूक की स्थिति में सुधारात्मक कार्रवाई;

✓ प्रत्येक स्टेट पार्टी अपने आंतरिक कानून के मौलिक सिद्धांतों के अनुसार लेखाबहियों, अभिलेखों, वित्तीय विवरणों, तथा सार्वजनिक व्यय और राजस्व से संबंधित अन्य दस्तावेजों के परिरक्षण तथा ऐसे दस्तावेजों के मिथ्याकरण, जैसा आवश्यक हो, को रोकने के लिए सिविल और प्रशासनिक उपाय करेगी ।

✓ प्रापण को ऐसी प्रक्रिया माना जाता है जो भ्रष्टाचार, साठ-गांठ, धोखा-धड़ी और छल-कपट की दृष्टि से अतिसंवेदनशील होती है । उपरोक्त पहलुओं को शामिल करते हुए स्टेट पार्टियों से प्रापण प्रक्रियाओं को विकसित करने की अपेक्षा की जाती है ।

✓ यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि सार्वजनिक प्रापण विनियम अपने आप में भ्रष्टाचार विरोधी नहीं है, बहुत-सी प्रापण प्रणालियों के सामान्य उद्देश्यों में धन के मूल्य, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व, उचित बर्ताव तथा सामाजिक/औद्योगिक विकास शामिल किए जाते हैं ।

✓ प्रापण के उद्देश्यों तथा भ्रष्टाचार विरोधी लक्ष्य केवल विनियम से ही हासिल नहीं किए जाते अपितु यह अच्छे सुशासन का एक अंग भी है ।

✓ जब तक कि सहभागिता को प्रतिबंधित करने हेतु, स्थापित पूर्व-मूल्यांकन और प्रक्रिया प्रदान करने और बिड की समीक्षा या चुनौती प्रक्रियाओं के लिए औचित्य न हो, तब तक प्रापण किए जाने वाले माल की पहचान, विनिर्देशन और घोषणा करने हेतु तथा भाग लेने के लिए कौन आपूर्तिकर्ता अर्ह हैं, के निर्धारण के लिए खुली निविदा अथवा समान अपेक्षा के लिए राष्ट्रीय प्रापण प्रणालियों के मुख्य तत्त्व प्रक्रिया होते हैं।

✓ स्टेट पार्टियों के पास स्पष्ट और व्यापक प्रक्रियाएँ होनी चाहिए जिसमें संविदा के समस्त पहलुओं, सार्वजनिक अधिकारियों की भूमिका शामिल होती है जो समस्त लेन-देन में उच्च स्तर की ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को स्पष्ट रूप से बढ़ावा देती है और इसका रखरखाव करती है।

✓ स्टेट पार्टियों के पास इसी प्रकार उल्लिखित प्रक्रियाओं से किसी प्रकार के विपथन तथा इसका औचित्य ठहराने के लिए प्रलेखित और सार्वजनिक रूप से अभिलिखित कारण होने चाहिए।

✓ यह अनिवार्य है कि लिए गए सभी निर्णय पारदर्शी और उत्तरदायित्वपूर्ण हैं और किसी भी अनुश्रवणकर्ता अभिकरणों, विधान तथा जनता द्वारा जाँच पर खरे उतरते हों।

- ✓ प्रापण प्रक्रिया में सत्यनिष्ठा प्राप्त करने के लिए पारदर्शिता इनमें से एक है ।
- ✓ समस्त भागीदारों के लिए स्वतंत्र, तथ्यात्मक और प्राप्त करने योग्य सूचना पारदर्शिता का महत्त्वपूर्ण आयाम है ।

26. ध्यान रखने योग्य बातें.

- ✓ वास्तविक समय में विपथन के कारणों, यदि कोई हों, को अभिलिखित करें और अनुमोदन के लिए इन्हें सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें;
- ✓ खंड फाइलों के पृष्ठांकन और क्लबिंग को सुनिश्चित करें ताकि समुचित रूप से इनका रखरखाव किया जा सके और मामले के सम्पूर्ण यथा तथ्यों के आधार पर भावी निर्णय लिया जा सके;
- ✓ निपटान/निर्णय में असाधारण विलंब से बचें क्योंकि इससे सतर्कता की दखलंदाजी आकर्षित होगी;
- ✓ पारदर्शिता, निष्पक्षता और उत्तरदायित्व केवल पिष्टोक्ति (क्लीशे) नहीं हैं; अपितु ये सार्वजनिक प्रापण के प्राण हैं;
- ✓ जब संदेह की स्थिति हो तो पूछिए; चीजों को स्पष्ट करने में संकोच मत करिए, हमारी थोड़ी-सी सावधानी हम सबको प्रतिकूल परिस्थितियों से बचा सकेगी;
- ✓ मंथर गति की प्रगति के लिए नियमों को दोष न दें, प्रबंधकीय कुशलता में इज़ाफा करने के लिए ही नियम बनाए जाते हैं, न कि इसे कम करने के लिए । इस प्रकार हम उन्हें किस तरह समाते हैं और किस तरह उनका कार्यान्वयन करते हैं, परिणामों को निर्धारित करता है;

- ✓ लोकसेवक होने के नाते हम सभी सार्वजनिक संपत्ति के न्यासी हैं;
- ✓ प्रापण के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को प्रतिसंतुलित करने की सफलता, इसके स्वचालन की यंत्रविधि की तुलना में इसे स्वीकार करने और परिवर्तित करने से अधिक संबंध रखती है;
- ✓ जब आपका इरादा कुछ भी छिपाने का नहीं है तो पारदर्शी होने से आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि यह आपके कार्य का मात्र प्रतिबिंब/प्रकटन है;
- ✓ जो जागत है, सो पावत है; प्रापण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली बहुत-सी समस्याओं के लिए पूर्व-सुविचारित योजना रामबाण तुल्य है; जब आप अंत तक प्रतीक्षा करते हैं तो आप सम्पन्न कार्य के रूप में प्रक्रियाओं को नजरंदाज करते हुए लघु-मार्ग का सहारा लेने के लिए बाध्य हो जाते हैं;
- ✓ कृपया मंद गति से आगे खपने वाली मालसूची पर पूर्णरूप से ध्यान रखें और तदनुसार प्रापण की योजना बनाएँ क्योंकि वे शीघ्र ही न खपने वाली मालसूची बन जाएँगी;
- ✓ कोटेशनों की मान्यता अवधि के भीतर संविदाएँ/निविदाएँ तय करें । प्रायः यह देखा जाता है कि आंतरिक दफ्तरशाही प्रक्रिया के कारण आदेश निर्धारित नहीं किए जाते, फलस्वरूप एचएएल नुकसान की स्थिति में पहुँच जाता है;

- ✓ एल1 से खरीद करने का अनिवार्यतः यह अभिप्राय नहीं है कि गुणवत्ता से समझौता किया जा रहा है। यह "निविदा के माध्यम से चयन प्रक्रिया" की गुणवत्ता है जो कि उत्पाद को निर्धारित करेगी, न कि केवल एल1 की स्थिति।
 - ✓ अल्पविवेक और अत्यधिक प्रतिस्पर्धा सार्वजनिक प्रापण का मंत्र होना चाहिए।
 - ✓ 'ठीक समय' के सिद्धांत का अनुकरण मालसूची के वहन का भार कम करता है।
-

अस्वीकरण :

सार्वजनिक प्रापण में पारदर्शिता के उद्देश्य और महत्त्व के विषय में अधिकारियों को संवेदशील बनाना इस पुस्तिका के प्रकाशन का उद्देश्य है। यह संकलन एचएएल की आधिकारिक नीति नहीं है। विशिष्ट मामलों के लिए कृपया प्रासंगिक सरकारी नीति/निदेशों/मार्गनिर्देशों का अवलोकन करने का कष्ट करें।

सार्वजनिक
प्रापण

पारदर्शिता

प्रतिस्पर्धा

धन के लिए मूल्य

गुणवत्ता

समय



सतर्कता विभाग

आईएसओ 9001/2008 प्रमाणित

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड